<u>न्यायालय अपर सिविल जज(जू0 डि0), न्यू कोर्ट नं–5, मुरादाबाद।</u>

विविध वाद संख्या– 294/2022

मूलवाद संख्या–856/2002

श्यामवीर सिंह बनाम रमेशपाल आदि।

<u>दिनांक</u>**–14.12.2024**

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर वादी पक्ष मय अधिवक्ता उपस्थित है। पत्रावली वास्ते सुनवाई/निस्तारण प्रार्थना पत्र 3 ग नियत है।

प्रार्थी/वादी की ओर से जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र 3 ग मय शपथपत्र 4 ग इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त मूलवाद में प्रार्थी को बहुत ही महत्वपूर्ण कागजात की प्रमाणित प्रतिलिपियां दाखिल करनी है, जिनके बिना प्रार्थी को न्याय मिलने में कठिनाई होगी। प्रार्थी ने उक्त नकलों के लिए सवाल नकल प्रस्तुत किए, परन्तु किसी कारणवश संबंधित पत्रावली रिकार्ड रूम में नहीं मिल पा रही है और नकले लेकर दाखिल नहीं की जा सकी हैं। उक्त नकलों के अत्यन्त आवश्यक होने के कारण प्रार्थी की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं और न्यायालय में स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। इसी क्रम में दिनांक 21.09.2022 को भी स्थगन प्रार्थना पत्र दिया जाना था, जो वकील साहब के मुंशी जी कार्य अधिक होने के कारण भूल गए और प्रार्थना पत्र नहीं दिया जा सका तथा माननीय न्यायालय द्वारा मूल वाद पक्षों की गैर हाजिरी में खण्डित फरमा दिया गया। प्रार्थी ने कोई गैर हाजिरी जानबूझकर नहीं की है, बल्कि उपरोक्त नकले न मिल पाने के कारण स्थगन प्रार्थना पत्र दिए जाते रहे हैं। प्रार्थी ने अपने हितों की रक्षा करने के लिए वाद योजित किया है। इस प्रकार वाद खण्डित हो जाने के कारण प्रार्थी की असीम हानि है, अतः सादर प्रार्थना है कि आदेश दिनांक 21.09.2022 निरस्त किया जाकर मूलवाद सं0 856/2002, कम्प्यूटर वाद सं0 541/2019 श्यामवीर सिंह बनाम रमेशपाल आदि को पूर्व नम्बर पर स्थापित किये जाने की कृपा की जावे।

प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित है कि दिनांक 21.09.2022 को न्यायालय द्वारा वादी पक्ष की अनुपस्थिति में उक्त मूलवाद संख्या 856/2002 खारिज कर दिया गया था। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 4 उक्त आदेश को अपास्त करके उक्त मूलवाद को पुनः स्थापित करने के लिए दिया गया है।
उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत आधार पर्याप्त है। वाद का निस्तारण सम्यक रूप से गुण–दोष के आधार पर करने हेतु मूलवाद को पुनः स्थापित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है, अतः वाद के समुचित निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र 3 ग न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र 3 ग स्वीकार किया जाता है। कार्यालय को आदेशित किया जाता है कि मूलवाद संख्या 856/2002 को पुनः मूल नम्बर पर कायम किया जाये। वादी, प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु उभय प्रकार से पैरवी करें। वाद मूल नम्बर पर स्थापित होकर पत्रावली न्यायालय समक्ष दिनांक 09.01.2025 को पेश हो।

(राबिन्स अलका)
न्यायालय अपर सिविल जज (जू0 डि0)/
न्यू कोर्ट सं0–5, मुरादाबाद।